गुजरात राज्य में, तार सेवाओं का आधुनिकीकरण करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:—

(i) अहमदाबाद और राजकोट में क्रमश: एक स्टोर एंड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम–128 लाइन (एसएफएमएसएस–128) और एक एसएफएमएस–32 प्रणाली स्थापित की गई है।

(ii) सूरत में एक टेलीप्रिंटर कंसट्रेटर और अहमदाबाद में एक फोनोग्राम कंसट्रेटर स्थापित किया गया है।

(iii) अहमदाबाद, बड़ोदरा, भरुच, राजकोट, जामनगर, आनन्द, भावनगर, गोधरा और सूरत में इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड कंसट्रेटर्स स्थापित करने की योजना है।

(iv) राजकोट, बडोदरा, और भावनगर में टेलीप्रिंटर कंसट्रेटर स्थापित करने की योजना है।

(v) 72 टर्मिनलों के साथ 8 इलेक्ट्रानिक की बोर्ड कंसट्रेटर का भी प्रस्ताव है।

गुजरात में, तार सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण का कार्य वर्ष 1996–97 तक पूरा हो जाने की आशा है। वर्ष 1995–96 के दौरान ईकेबीसी।इकेबी प्राप्त करने के लिये 24 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

दूरसंचार तंत्र (नेटवर्क) का विस्तार कार्यक्रम

7918. **श्री संघ प्रिय गौतम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में दूरसंचार तंत्र (नेटवर्क) का विकास और विस्तार करने के लिए सरकार को प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि की जरुरत पड़ेगी :

(ख) क्या स्वीडन सहित अन्य देश दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार कार्यक्रम में भारत की सहायता करने पर सहमत हो गये हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किन-किन देशों ने दिलचस्पी दिखाई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि पुनरीक्षा के आधार पर आगामी दो वर्ष के लिए परिकल्पित निवेश इस प्रकार हैं :—

95–96	–	7838.80 करोड़ रु०
96–97	–	9000.00 करोड़ रु०

नवीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 97–98 के लिए योजना के आकार को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। राज्यों के लिए विस्तार कार्यक्रम, संसाधनों की उपलब्धता और मांग के अनुरूप साल-दर साल आधार पर बनाए जाते हैं एवं तदनुसार अपेक्षित राशि निर्धारित की जाती है।

(ख) से (घ) दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार कार्यक्रम के लिए स्वीडन सहित अन्य देशों से सहायता प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, दूरसंचार विभाग ने अन्य देशों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं। ये समझौता ज्ञापन सामान्य प्रकृति के हैं और इनमें, अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, दूरसंचार सॉफ्टवेयर आदि जैसे दूरसंचार क्षेत्र में दोनों तरफ से सहयोग की परिकल्पना की गई है।

CAT's direction to the Department of Posts in Delhi

7919. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number and the details of cases in which the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, had